

Hallmarking Department

Our Ref: HMD/15820

11 Oct 2018

Subject: Implementation of amendment no. 2, August 2018 to IS 15820:2009 (General requirement for establishment and operation of Assaying and Hallmarking Centre.)

1. Amendment no.2 to IS 15820: 2009 has been published. As per Gazette Notification NO. S.O 4146 (E) dated 14 August 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
2. All Regions are requested to inform the A&H centres in their Jurisdiction about the above amendment.

Vikrant, Sc. C

HMD

H (HMD)

Circulated to ROs through Intranet

Copy to: ITSD – for hosting in Intranet

हॉलमार्किंग विभाग

हमारा संदर्भ: एचएमडी/15820

11 अक्टूबर 2018

विषय: IS15820: 2009 की संशोधन संख्या 2 अगस्त 2018 का अनुपालन (General Requirement for establishment and operation of Assaying and Hallmarking Centre.)

1. आई ए एस 15820: 2009 की संशोधन संख्या 2 को प्रकशित किया गया है। गज़ेट नोटिफिकेशन संख्या S.O 4146 14 अगस्त 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
2. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी ए एवं एच केन्द्रों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित करे।

विक्रान्त

वैज्ञानिक – सी, एचएमडी

प्रमुख, (हॉलमार्किंग विभाग)

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों intranet के माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि:

ITS - इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए